भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1519

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती के लाभ

1519. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने और प्रसार करने के लिए कोई योजना/पहल शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में ऐसी योजनाओं/पहलों के कार्यान्वयन के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों में उपरोक्त निर्दिष्ट योजनाओं/पहलों से लाभ प्राप्त करने वाले, जैविक खेती करने वाले किसानों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है विशेषकर आंध्र प्रदेश में उनकी संख्या कितनी है: और

(घ) इस श्रेणी में जैविक किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण और विपणन तक एंड-टू-एंड सहायता पर बल देती हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक फोकस आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के साथ जैविक क्लस्टर बनाना है। दोनों योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, जैविक खाद सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है एमओवीसीडीएनईआर के तहत किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के तहत किसानों को ऑन फार्म/ऑफ फार्म जैविक आदानों के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

पिछले पाँच वर्षों में आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** और **II** में दिया गया है।

दोनों योजनाओं के अंतर्गत देश भर में 17.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 28.08 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। आंध्र प्रदेश में पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत 3,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र में 7,46,976 किसान लाभान्वित हुए हैं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित जैविक किसानों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुबंध- I

वर्ष 2024-25 के दौरान परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत राज्यवार आवंटन और जारी धनराशि का विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
आंध्र प्रदेश	11291.09	10004.83	1573.21	-	826.35	-	970	970	2800	2800
बिहार	1750.99	993.63	991.81	-	2830.65	1547.68	2509.8	402	1000	1015.5
छत्तीसगढ	4825.62	3738.11	1324.74	-	3504.93	-	3175	1892.5	2373.5	2373
गुजरात	20.2	10.1	20.81	-	20.5	-	750	196	560.7	282
गोवा	1009.8	-	-	-	1025.1	-	382.5	250	286	250
हरियाणा	10.1	5.05	10.4	-	10.25	-	675	-	504	-
झारखंड	1836.86	1836.86	270.5	-	1397.27	-	1772	163	800	399
कर्नाटक	1030	10.1	20.81	-	1045.61	512.55	2803	2803	1950	1950
केरल	2905.47	2198.23	1209.68	-	1712.07	1712.07	1047	71	782.6	392
मध्य प्रदेश	8175.34	828.04	1332.63	-	5756.54	-	4810	33	3000	1250
महाराष्ट्र	747.25	20.2	41.62	-	745.9	449.67	3361	1681	2512.5	2124
ओडिशा	2318.87	1886.49	618.12	-	741.44	370.719	1000	791	747.6	623.5
पंजाब	1582.66	1582.66	241.94	221.13	222.46	-	745		557	278.5
राजस्थान	7888.9	25.25	4100.09	4048.07	2452.64	1783.26	3133	800	1500	1125
तमिलनाडु	487.76	439.98	63.65	-	704.87	-	1564	1564	1169	1620
तेलंगाना	1315.14	15.15	31.21	-	30.75	-	568	-	424.6	212
उत्तर प्रदेश	4703.65	2532.17	2181.23	865.56	13400.57	5089.32	6607	5881	4500	6900
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	555.39	555.39	2001	1717	1495.8	1120.75
हिमाचल प्रदेश	1166.24	1166.24	401.17	-	1121.36	-	497	124	746.73	746
उत्तराखंड	11844.95	9084.61	2984.87	2953.66	6030.68	5969	3065	767	3600	2305
सभी पूर्वोत्तर राज्य*	738	684.98	314.87	96.39	-	-	-	-	-	-
सभी संघ राज्य क्षेत्र	1727.12	221.85	952.68	-	893.02	193.55	1863.02	380.2	1392.65	472.5
कुल	67376.02	37284.51	18686.05	8184.81	45028.35	18183.2	43298.32	20485.7	32702.68	28238.75

* पीकेवीवाई योजना को वर्ष 2018-19 से बंद कर दिया गया था, तथापि वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बड़े क्षेत्र प्रमाणन और आकांक्षी जिला कार्यक्रम से धनराशि जारी की गई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजना के तहत वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक राज्यवार आवंटन और जारी धनराशि का विवरण।

	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
राज्य का नाम	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
असम	3,193.80	-	2,587.98	-	2,681.80	2,059.15	3,717.98	3,684.91	4,061.00	1,531.00
मणिपुर	6444.72	6,444.72	6,238.76	4,911.50	2,915.37	2,915.36	2,805.38	2,805.38	3,940.00	2,955.00
मेघालय	2,625.38	714.21	836.65	92.88	2,011.88	621.57	2,465.40	2,465.40	4,096.00	2,343.00
नागालैंड	2,837.80	2,258.89	2,781.18	2,114.20	1,961.01	1,390.60	2,346.10	2,346.10	4,250.00	2,798.00
मिजोरम	1,612.80	769.4	1,858.80	1,291.74	1,604.25	1,140.90	2,336.16	2,336.16	4,187.00	2,380.00
अरुणाचल प्रदेश	3,044.25	1,953.93	2,938.02	2,776.10	1,860.77	1,642.17	2,574.75	2,574.75	6,250.00	2,560.00
सिक्किम	1,880.94	1,210.90	2,406.84	795.69	4,005.10	1,538.83	3,260.69	3,260.69	1,949.00	1,706.00
त्रिपुरा	3,804.13	64.74	3,042.70	1,178.27	2,759.82	3,000.26	3,370.04	3,370.04	3,626.00	2,266.00
	25,443.81	**13,416.78**	**22,690.93**	**13,160.39**	**19,800.00**	**14,308.84**	**22,876.50**	**22,843.43**	**32,359.00**	**18,539.00**

अनुबंध- III

वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों का दिनांक 30.06.2025 तक राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत लाभान्वित क्षेत्र और किसानों का विवरण			
क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल किसान
1	आंध्र प्रदेश	3,60,805	7,46,976
2	बिहार	31,783	43,208
3	छत्तीसगढ	1,01,279	60,294
4	गुजरात	15,334	17,836
5	गोवा	10,000	12,685
6	हरियाणा	-	-
7	झारखंड	25,300	32,714
8	कर्नाटक	20,900	37,598
9	केरल	94,480	3,10,841
10	मध्य प्रदेश	74,960	1,16,360
11	महाराष्ट्र	66,756	87,350
12	ओडिशा	52200	70,026
13	पंजाब	6,981	6,676
14	राजस्थान	1,48,500	2,17,479
15	तमिलनाडु	32,940	37,886
16	तेलंगाना	8,100	18,405
17	उत्तर प्रदेश	1,71,185	2,73,672
18	पश्चिम बंगाल	21,400	48,585
19	असम	4,400	9,740
20	अरुणाचल प्रदेश	380	-
21	मिजोरम	780	2,054
22	मणिपुर	600	-
23	नागालैंड	480	-
24	सिक्किम	63,000	-
25	त्रिपुरा	1,000	-
26	मेघालय	900	2,275
27	हिमाचल प्रदेश	18,748	44,932
28	जम्मू और कश्मीर	5,160	12,900
29	उत्तराखंड	1,40,740	3,01,109
30	अंडमान और निकोबार	14,491	3,590
31	दमन और दीव	642	1,324
32	दादर नगर	500	-
33	दिल्ली	-	-
34	पुदुचेरी	-	-
35	चंडीगढ़	-	-
36	लक्षद्वीप	2,700	8,126
37	लद्दाख	10,480	14,070
	कुल	15,07,904	25,38,711

पृष्ठ 2 पर जारी

वर्ष 2015-16 से एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत लाभान्वित क्षेत्र और किसानों का विवरण			
क्र. सं.	**राज्य**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**	**किसानों की संख्या**
1	असम	26,022	24,681
2	नागालैंड	30,558	31,128
3	सिक्किम	34,747	77,540
4	त्रिपुरा	26,660	26,874
5	मिजोरम	26,500	27,604
6	मेघालय	19,402	19,274
7	मणिपुर	43,000	43,000
8	अरुणाचल प्रदेश	28,000	19,099
	कुल	2,34,889	2,69,200
	कुल योग	17,42,793	28,07,911

*****